दिल्ली उच्च न्यायालय : नई **दिल्ली**

सुरक्षित: 14 फरवरी, 2022
निर्णय की तिथि: 04 जुलाई, 2022

रि.या.(आप.) 2227/2021 और आप.वि.आ.17965/2021 (रोक)

ध्रुव तिवारी .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री माधव खुराना, अधिवक्ता सह सुश्री तृषा मित्तल, अधिवक्ता।

बनाम

प्रवर्तन निदेशालय .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री ज़ोहेब हुसैन, प्र.-1/प्रवर्तन निदेशालय के विशेष अधिवक्ता सह श्री विवेक गुरनानी व श्री कार्तिक तयुर, अधिवक्तागण।

श्री अनुराग अहलूवालिया प्र.-2/एफआरआरओ के लिए केंद्र सरकार के स्थाई अधिवक्ता सह श्री दानिश फराज़ खान और श्री रिषभ नारायण, अधिवक्तागण।

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री मुक्ता गुप्ता

1. इस याचिका द्वारा, याचिकाकर्ता प्रवर्तन वाद सूचना रिपोर्ट(ईसीआईआर) सं. 02/डीएलज़ेडओ/2016 में याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को वापस लेने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश देते हुए परमादेश रिट की मांग करता है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि वर्ष 2012-2013 में भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराध करने के आरोपों पर याचिकाकर्ता के दादा, दिवंगत पिता और दिवंगत चाचा के खिलाफ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज सात नियमित मामलों में याचिकाकर्ता को आरोपी नहीं बनाया गया था, क्योंकि बेशक कथित अपराध के समय यानी वर्ष 2005 से 2011 तक, याचिकाकर्ता 8 से 14 साल का नाबालिग बच्चा था और वह पारिवारिक व्यवसाय में शामिल नहीं था। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा याचिकाकर्ता की दादी सहित उसके रिश्तेदारों के खिलाफ दर्ज प्रवर्तन वाद सूचना रिपोर्ट(ईसीआईआर) में, याचिकाकर्ता को कभी भी आरोपी के रूप में शामिल नहीं किया गया था और न ही उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज की गई है। यहां तक कि वर्ष 2016 में याचिकाकर्ता के रिश्तेदारों के खिलाफ दर्ज दूसरी प्रवर्तन वाद सूचना रिपोर्ट(ईसीआईआर) में भी, याचिकाकर्ता को न तो आरोपी के रूप में नामित किया गया था और न ही उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता ने अप्रैल 2016 से फरवरी 2021 तक पईयू विश्वविद्यालय,

इंडियाना, यूएसए से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया। याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु 25 अक्टूबर, 2019 को हो गई थी। याचिकाकर्ता को 23 फरवरी, 2021 को भारत वापस लौटने पर दूसरी प्रवर्तन वाद सूचना रिपोर्ट(ईसीआईआर) में उसके विरुद्ध लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी करने के आधार पर एयरपोर्ट पर तीन घंटों के लिए निरुद्ध कर लिया गया था। याचिकाकर्ता को 24 फरवरी, 2021 को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था और उस तारीख से लेकर अब तक याचिकाकर्ता को कोई सम्मन जारी नहीं किया गया है। इस प्रकार याचिकाकर्ता ने आईएलआर (2010) VI दिल्ली 706 *सुमेर सिंह सलकान बनाम सहायक निदेशक व अन्य* के रूप में प्रतिवेदित इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में एलओसी को रद्द करने की मांग की है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता आगे तर्क देते हैं कि अस्थाई कुर्की आदेश सं. 2/2020 द्वारा प्रत्यर्थी ने चार बैंक खाते, पांच म्यूचुअल फंड, एक बीमा पॉलिसी और ध्रुव फैमिली प्राइवेट ट्रस्ट बैंक खाता, जो याचिकाकर्ता के नाम पर रखे गए हैं, को कुर्क किया है। उक्त अस्थाई कुर्की आदेश की न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा 21 सितंबर, 2020 और 23 सितंबर, 2021 के आदेशों के माध्यम से पुष्टि की गई है। प्रत्यर्थी ने पीपीएफ खाते और मेसर्स एडीए फैमिली ट्रस्ट और ध्रुव फैमिली प्राइवेट ट्रस्ट द्वारा धारित इक्विटी होल्डिंग्स के रूप में परिसंपत्तियों की पहचान की, जिन्हें भी अस्थायी रूप से कुर्क किया गया था, जिस आदेश की पुष्टि भी न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा 25 सितंबर, 2020 के आदेश

के माध्यम से की गई है। इस प्रकार याचिकाकर्ता के नाम पर और कथित रूप से स्थापित अपराधों को करने से उत्पन्न अपराध की आय से जुड़ी हुई सभी परिसंपत्तियां प्रत्यर्थी द्वारा कुर्क कर दी गई हैं। याचिकाकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता आगे तर्क देते हैं कि पूरी तरह से यह जानते हुए कि याचिकाकर्ता वर्ष 2005 से 2011 के बीच अपराध के कथित किए जाने के समय नाबालिग था, प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता के विरुद्ध लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी रखने पर जोर देता है, जो अवैध और मनमाना है।

4. याचिका के जवाब में, प्रत्यर्थी द्वारा एक स्थिति आख्या दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा बैंक अधिकारियों की लिखित शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत सात प्राथमिकी दर्ज की गई थीं जिसमें प्रबोध कुमार तिवारी, आनंद तिवारी, अभिषेक तिवारी और अन्य के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया गया था। विधेय अपराध के आधार पर दो प्रवर्तन वाद सूचना रिपोर्ट(ईसीआईआर) दर्ज की गई और दूसरी ईसीआईआर/02/डीज़ेड/2016 20 जुलाई, 2016 को मैसर्स पिक्सन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, पर्ल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स महुआ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स पिक्सन विजन प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स पर्ल स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स पर्ल विजन प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स सेंचुरी कम्युनिकेशन लिमिटेड के खिलाफ दर्ज की गई। यह दलील प्रस्तुत की गई कि सेंचुरी कम्युनिकेशन लिमिटेड की सभी समूह कंपनियों द्वारा

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से छल करने की एक समान कार्य प्रणाली अपनाई गई तथा सावधि ऋण व नकदी ऋण सुविधा का लाभ लेकर लगभग रु. 2671 करोड़ की हानि पहुंचाई गई। लेन-देन की भूलभुलैया में से धन को घुमाकर, गलत तरीके से अर्जित, दागी धन के स्रोत को छुपाने के लिए, अपराध की आय को एक नई पहचान देने का प्रयास किया गया था। यह कहा गया है कि इस अपराध की आय का उपयोग एक बड़े प्रीमियम वाली बीमा पॉलिसी, लक्जरी वाहनों, सावधि जमा रसीदों, सोने, आभूषणों की खरीद, म्यूचुअल फंड और पारिवारिक ट्रस्ट में निवेश सहित अन्य निवेशों में किया गया था। जांच के दौरान अभियुक्त द्वारा बड़ी मात्रा में राशि का विदेश भेजा जाना पाया गया और इस संबंध में जांच एजेंसी द्वारा यूनाइटेड किंगडम को एक अनुरोध पत्र (लेटर रोगेटरी) भेजा गया है जिसके जवाब का अभी इंतजार है। यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता के पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है और वह अपनी जीवन शैली के लिए पूरी तरह से अपने माता-पिता पर निर्भर है। याचिकाकर्ता आनंद तिवारी के दिवंगत पिता ने लेन देन की भूलभुलैया में अपराध की आय का निवेश किया तथा *"ध्रुव फैमिली ट्रस्ट"* नामक एक ट्रस्ट भी खोला। इस प्रकार याचिकाकर्ता के नाम पर मौजूद संपत्तियां अपराध की आय से हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता असहयोगी था और इस प्रकार एलओसी को जांच के लिए याचिकाकर्ता की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया था। अपराध की शेष राशि का पता लगाने तथा पीएमएलए के प्रावधानों के उल्लंघन में अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता का पता लगाने के लिए आगे की जांच प्रगति पर है। आदेश दिनांकित 15

नवम्बर, 2021 के माध्यम से एलओसी को इस सीमा तक संशोधित किया गया था कि याचिकाकर्ता को कार्यालय को सूचित करते हुए विदेश यात्रा और भारत वापस आने की अनुमति दी जा सकती है और याचिकाकर्ता की आवाजाही (प्रस्थान / आगमन) पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

5. जब यह रिट याचिका दिनांक 12 नवंबर, 2021 को इस न्यायालय के समक्ष आई, तो प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने सूचित किया कि उन्हें यह कहने के निर्देश हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एलओसी वापस लिए जाने की प्रक्रिया में है और इस संबंध में एक आवश्यक स्थिति आख्या दायर की जाएगी। दिनांक 17 नवंबर, 2021 को, स्थगित की गई तारीख, हालांकि कोई स्थिति आख्या दायर नहीं की गई थी, इस न्यायालय को 15 नवंबर, 2021 को सहायक निदेशक, एसआईसी शाखा, एफआरआरओ, आर.के. पुरम, नई दिल्ली को संबोधित प्रवर्तन निदेशालय के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय-1 के उप निदेशक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पत्र की प्रति ई-मेल की गई थी। उक्त पत्र के अनुसार, प्रत्यर्थी का कार्यालय मैसर्स पिक्सन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड व अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (संक्षेप में पीएमएलए अधिनियम) के प्रावधानों के तहत किए गए अपराधों के संबंध में जांच कर रहा है तथा जांच के दौरान ध्रुव तिवारी, पुत्र श्री स्वर्गीय आनंद तिवारी के नाम पर पासपोर्ट संख्या टी5199110 के साथ एक लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था। पत्र में, सहायक निदेशक, एसआईसी शाखा, एफआरआरओ से याचिकाकर्ता के एलओसी को

इस हद तक संशोधित करने का अनुरोध किया गया है कि प्रत्यर्थी के कार्यालय को सूचित करने के तहत याचिकाकर्ता को विदेश जाने और भारत वापस आने की अनुमति दी जा सकती है।

6. हालांकि, मुद्दा जो अभी भी बना हुआ था, वह यह था कि जब याचिकाकर्ता दोनों ईसीआईआर में से किसी में भी आरोपी नहीं था, तो वर्ष 2013 में पंजीकृत एक ईसीआईआर, जिसमें वर्ष 2018 में शिकायत दर्ज की गई थी और वर्ष 2016 में दर्ज दूसरे ईसीआईआर में, जिसमें कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है, तो क्या याचिकाकर्ता के खिलाफ एलओसी जारी रखना न्यायसंगत है अथवा नहीं। आज तक याचिकाकर्ता को एक आरोपी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके कारण एलओसी को जारी रखने का औचित्य, यहां तक कि याचिकाकर्ता की आवाजाही की निगरानी के लिए संशोधित एलओसी में भी, हालांकि याचिकाकर्ता को हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं थी, हालांकि उसके आने और जाने की सूचना दी जानी थी। इस बीच, वर्ष 2016 के ईसीआईआर में भी शिकायत दर्ज की गई थी, जहां फिर से याचिकाकर्ता को एक अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था, लेकिन उसे एक गवाह बनाया गया था और क्या दिशानिर्देशों ने प्रत्यर्थी को सूचना का एक एलओसी जारी करने और जारी रखने की अनुमति दी थी। इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 2 के रूप में एफआरआरओ को शामिल करने के बाद मामले की सुनवाई की गई।

7. दिनांक 7 फरवरी, 2022 को एफआरआरओ की ओर से पेश होने वाले विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एलओसी जारी करने का अनुरोध करने वाला अभिकरण एक प्रोफोर्मा दायर करती है जिसके आधार पर कार्रवाई की जाती है। प्रत्यर्थी सं. 2 / एफआरआरओ ने इस प्रकार एक सीलबंद लिफाफे में स्थिति आख्या को अभिलेख पर रखा है। दिनांक 30 अप्रैल, 2019 को स्थिति आख्या के अनुसार, प्रत्यर्थी सं. 1 से "*हिरासत में लिया गया तथा प्रवर्तक को सूचित किया गया*" कार्रवाई के साथ एक संदर्भ प्राप्त हुआ था। प्रत्यर्थी सं. 1 के पत्र दिनांकित 15 नवंबर, 2021 के द्वारा अनुरोध पर इस एलओसी कार्रवाई को "इस कार्यालय की सूचना के अंतर्गत व्यक्ति को विदेश जाने एवं वापस लौटने की अनुमति दी जाए" को संशोधित किया गया था। इस संशोधन के आधार पर प्रत्यर्थी सं. 1 का यह तर्क है कि याचिकाकर्ता की अवरोधिक एलओसी सूचनात्मक एलओसी में संशोधित की गई है| यह आगे बताया गया है कि दिनांक 15 नवंबर, 2021 की प्रार्थना को दिनांक 11 फरवरी, 2022 के पत्र द्वार संशोधित किया गया है, जिसमें अनुरोध है कि, *"व्यक्ति को उसके प्रस्थान और आगमन के समय हवाई अड्डे पर नहीं रोका जाना होना चाहिए, उसके प्रस्थान और आगमन के बारे में अलग-अलग जानकारी विभाग के साथ बांटी जानी चाहिए|" इस प्रकार, 11 फरवरी, 2022 के पत्र द्वारा मांगे गए संशोधन के अनुसार, याचिकाकर्ता को अब* ***सूचनात्मक एलओसी*** *का सामना करना पड़ा है।*

8. इस न्यायालय ने रिट याचिका (आप.) 1315/2008 में दिनांक 11 अगस्त, 2010 *सुमेर सिंह सलकान बनाम सहायक निदेशक व अन्य* के निर्णय और **आप.**

संदर्भ.1/2016- न्यायालय ने अपने ही समवेदन पर पुनः *राज्य बनाम गुरनेक सिंह आदि* वाले मामले में विचारण न्यायालय द्वारा एलओसी पर उठाए गए चार सवालों पर गौर किया गया, जो इस प्रकार हैं:

> *"(क) ऐसे मामलों की कौन सी श्रेणियां हैं जिनमें जाँच एजेंसी लुक-आउट सर्कुलर का सहारा ले सकती है और किन परिस्थितियों में?*
> *(ख) लुक-आउट सर्कुलर जारी करने से पहले जाँच एजेंसी को किस प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता है?*
> *(ग) उस व्यक्ति के लिए क्या उपचार उपलब्ध है जिसके खिलाफ ऐसा लुक-आउट सर्कुलर जारी किया गया है?*
> *(घ) संबंधित न्यायालय की क्या भूमिका है जब ऐसा कोई मामला उसके समक्ष लाया जाता है और किन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय हस्तक्षेप कर सकते हैं?"*

9. उपर्युक्त प्रश्नों के संबंध में निर्देश का उत्तर देते हुए, दिनांक 11 अगस्त, 2010 के निर्णय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया:-

> *"(क) जाँच एजेंसी द्वारा भा.दं.सं. या अन्य दांडिक कानूनों के तहत संज्ञेय अपराध में एलओसी का सहारा लिया जा सकता है, जहां अभियुक्त जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा था अथवा गैर-जमानती वारंट एवं अन्य प्रपीड़क उपायों के बावजूद जानबूझकर विचारण न्यायालय में पेश नहीं हो रहा था और विचारण/गिरफ्तारी से बचने के लिए अभियुक्त के देश से बाहर जाने की संभावना थी|*
> *(ख) जांच अधिकारी एलओसी हेतु अधिकारी को लिखित अनुरोध देगा जैसा गृह मंत्रालय के सर्कुलर द्वारा अधिसूचित है, जिसमें एलओसी मांगने हेतु विवरण और कारण दिए जाएंगे| सक्षम प्राधिकार ही एलओसी को जारी करने के निर्देश देते हुए आदेश पारित करेंगे|*
> *(ग) जिस व्यक्ति के खिलाफ एलओसी जारी की गई है, उसे जाँच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर जांच में शामिल होना चाहिए या*

संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करना चाहिए या न्यायालय को संतुष्ट करना चाहिए कि उसके खिलाफ एलओसी गलत तरीके से जारी किया गया था| वह उस अधिकारी से भी संपर्क कर सकता है जिसने एलओसी जारी करने का आदेश दिया था और स्पष्ट कर सकता है कि उसके खिलाफ एलओसी गलत तरीके से जारी की गई थी| एलओसी को जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा एलओसी वापस लिया जा सकता है और संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा भी रद्द किया जा सकता है जहां मामला लंबित है या संबंधित व्यक्ति द्वारा दायर किए गए आवेदन के सम्बंधित थाना पर क्षेत्राधिकार हो|

(घ) एलओसी किसी व्यक्ति को जाँच एजेंसी या न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए एक प्रपीड़क उपाय है। एलओसी की पुष्टि या रद्द करने का विचारण न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र गैर जमानती वारंट रद्द करने या गैर जमानती वारंट की पुष्टि करने के अधिकार क्षेत्र के अनुरूप है|"

10. विभिन्न निर्णयों के आधार पर जिसमे सुमेर सिंह सलकन (उपरोक्त) से भी संदर्भित, भारतीय नागरिकों और विदेशियों के संबंध में लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी करने के लिए प्रत्यर्थी सं. 2/एफआरआरओ ने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 27 अक्टूबर, 2010 जारी किया, जिसकी प्रतिलिपि याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है, जिसमें अनुच्छेद 8 में निम्नानुसार नोट किया गया है:

"8. दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 26.07.2010 के आदेश के अनुसार, इस मामले पर सम्बन्धित एजेंसी के साथ विचार-विमर्श किया गया है और भारतीय नागरिकों और विदेशियों के संबंध में एलओसी जारी करने के संबंध में निम्नलिखित दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं:

क) एलओसी खोलने का अनुरोध प्रारंभिक एजेंसी द्वारा उप निदेशक, आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई), ईस्ट ब्लॉक-VIII, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-66 (टेलीफैक्सः011-2619244) को संलग्न प्रपत्र में अनुरोध किया जाएगा।

ख) एलओसी खोलने का अनुरोध अनिवार्य रूप से एक अधिकारी की मंजूरी से जारी किया जाना चाहिए, जो निम्न रैंक से कम का न हो

i. भारत सरकार के उप सचिव; या
ii.राज्य सरकार में संयुक्त सचिव; या
iii.संबंधित जिला के जिला दंडाधिकारी; या
iv. संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक (एसपी); या
v. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस अधीक्षक या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में काम करने वाले समकक्ष स्तर के अधिकारी; या
vi. स्वापक नियन्त्रण ब्यूरो (एनसीबी) में अंचल निदेशक या समकक्ष स्तर का अधिकारी (एनसीबी मुख्यालय में सहायक निदेशक (संचालन) सहित); या
vii.राजस्व खुफिया निदेशालय या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड में उपायुक्त या समकक्ष स्तर का अधिकारी; या
viii. आईबी/बीओआई के सहायक निदेशक; या
ix. अनु. और वी.वी. के उप सचिव; या
x. राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी में पुलिस अधीक्षक के स्तर से नीचे का अधिकारी नहीं; या
xi. प्रवर्तन निदेशालय का सहायक निदेशक; या
xii. प्रवासियों के संरक्षक के कार्यालय में प्रवासियों का संरक्षक या भारत सरकार के उप सचिव के स्तर से नीचे का अधिकारी नहीं; या
xiii. इंटरपोल के नामित अधिकारी
इसके अलावा, भारत में किसी भी आपराधिक न्यायालय के निर्देशों के अनुसार भी एलओसी जारी किए जा सकते हैं।

ग) एलओसी जारी करने के अनुरोध के लिए प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के नाम और पदनाम का सदैव उल्लेख किया जाना चाहिए, जिसके बिना एलओसी जारी करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रवर्तक का संपर्क विवरण संलग्न प्रपत्र के कॉलम VI में अवश्य दिया जाना चाहिए। प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई के लिए उचित संचार सुनिश्चित करने के लिए संबंधित नियंत्रण कक्ष के संपर्क दूरसंचार/मोबाइल नंबर का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

(ङ) प्रारंभिक एजेंसी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए कि जिस व्यक्ति के संबंध में एलओसी खोला जाना है, उसका पूरा पहचान विवरण उपर्युक्त प्रपत्र में दर्शाया गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एलओसी तब तक नहीं खोला जा सकता है जब तक कि लिंग और राष्ट्रीयता के अलावा संलग्न प्रपत्र में दिए गए कम से कम तीन पहचान मापदंड उपलब्ध न हों। तथापि, एलओसी तब भी जारी किया जा सकता है जब संबंधित व्यक्ति का नाम और पासपोर्ट विवरण उपलब्ध हो। एलओसी अनुरोधों की निरंतर समीक्षा करना और वास्तविक यात्रियों के उत्पीड़न को कम करने के लिए अतिरिक्त मानदंड प्रदान करना प्रवर्तक की जिम्मेदारी है।

(च) एलओसी के अनुसरण में आप्रवास अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की कानूनी जिम्मेदारी प्रारंभिक एजेंसी पर है।

(छ) भा.दं.सं. या अन्य दंड कानूनों के तहत संज्ञेय अपराध में एलओसी का सहारा लिया जाना चाहिए। 'एलओसी खोलने के कारण' के बारे में संलग्न प्रपत्र में कॉलम IV में सदैव विवरण दिया जाना चाहिए जिसके बिना एलओसी वाले व्यक्ति को गिरफ्तार/हिरासत में नहीं लिया जाएगा।

(ज) ऐसे मामलों में जहां भा.दं.सं. या अन्य दंड कानूनों के तहत कोई संज्ञेय अपराध नहीं है, एलओसी वाले व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया जा सकता/गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या देश से बाहर जाने से रोका नहीं जा सकता। प्रारंभिक एजेंसी केवल यह अनुरोध कर सकती है

कि ऐसे मामलों में उन्हें संबंधित व्यक्ति के आगमन/प्रस्थान के बारे में सूचित किया जाए।

(झ) एल.ओ.सी जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और इसके बाद एल.ओ.सी से विषय का नाम स्वतः ही विलोपन दिया जाएगा जब तक कि संबंधित एजेंसी एक वर्ष की अवधि के भीतर इसके नवीकरण के लिए अनुरोध नहीं करती है। दिनांक 01.01.2011 से एक वर्ष से अधिक की वैधता वाले सभी एल.ओ.सी तब तक निष्प्रभावी समझे जाएंगे जब तक कि संबंधित एजेंसियां विशेष रूप से एल.ओ.सी में नामों को जारी रखने के लिए बी.ओ.आई से अनुरोध नहीं करती हैं। हालांकि, निम्नलिखित मामलों में एक वर्ष की अवधि के बाद स्वत: ही विलोपन के लिए यह प्रावधान लागू नहीं होगा

क. वांछित व्यक्तियों के आगमन पर नजर रखने के लिए जारी प्रतिबंधित-प्रवेश एल.ओ.सी. (जिनकी एक विशिष्ट अवधि होती है)

ख. पासपोर्ट एल.ओ.सी. की खोने पर (जो आमतौर पर दस्तावेज की वैधता तक जारी रहती है)

ग. पासपोर्ट को जब्त के करने संबंध में एल.ओ.सी.

घ. न्यायालय और इंटरपोल के आदेश पर एल.ओ.सी. जारी किए गए।

(ञ) असाधारण मामलों में, व्यापक राष्ट्रीय हित में सी.आई संदिग्धों, आतंकवादियों, राष्ट्र विरोधी तत्वों आदि के खिलाफ पूर्ण मापदंडों और / या मामले के विवरण के बिना एल.ओ.सी. जारी की जा सकती हैं।

(ट) राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जैसे वैधानिक निकायों द्वारा किसी भारतीय / विदेशी को भारत छोड़ने से रोकने के लिए किए गए अनुरोध के मामले में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस तरह के अनुरोधों के साथ-साथ सभी आवश्यक तथ्यों को सबसे पहले कानून प्रवर्तन एजेंसियों जैसे पुलिस के संज्ञान में लाया जाना चाहिए। इसके बाद संबंधित पुलिस स्थिति के आकलन के बाद और इस उद्देश्य के

लिए निर्धारित प्रक्रिया के संदर्भ में ठीक एल.ओ.सी. जारी करने का अनुरोध करेंगे।
आप्रवासन / उत्प्रवास प्राधिकारी उपर्युक्त पैरा 8 (ख) में दिए गए ब्यौरे के अनुसार एल.ओ.सी. खोलने के लिए अधिकृत अधिकारियों से प्राप्त सूचना का कड़ाई से पालन करेंगे।"

11. दिनांकित 27 अक्टूबर 2010 के ओ.एम. के पैरा 8 के खंड (झ) से, यह स्पष्ट है कि जब तक किसी नागरिक पर भारतीय दंड संहिता या अन्य विधियों के तहत संज्ञेय अपराधों के आरोप में किए जाने का शक या जाँच या विचारण का सामना कर न रहा हो, तब तक नागरिक को न तो हिरासत में लिया जा सकता है, न ही गिरफ्तार किया सकता है या न ही देश छोड़ने से रोका जा सकता है| प्रारंभिक एजेंसी केवल उसके आगमन और /या प्रस्थान की सूचना प्राप्त कर सकती है। आगे सूचना के एल.ओ.सी. में हवाई अड्डे / या प्रस्थान या आगमन के किसी अन्य बंदरगाह पर प्राधिकारी वर्ग व्यक्ति को इस बहाने से रोक या हिरासत में नहीं ले सकते हैं कि उसके आगमन या प्रस्थान की सूचना प्रारंभिक एजेंसी को दी जानी आवश्यक है जो अप्रत्यक्ष रूप से एक रोकने / बाधक एल.ओ.सी. के रूप में काम करेगी। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है, वह अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता है।

12. वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता न तो विधेय अपराध में और न ही 2 ई.सी.आई.आर अभियुक्त था क्योंकि वह लेन-देन के किए जाने के समय निस्संदेह एक नाबालिग था जिसके परिणामस्वरूप भा.दं.सं., पी.सी अधिनियम या यहां तक

कि पी.एम.एल.ए के तहत कथित अपराध हुआ। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को हिरासत में लेने के लिए बाधक / रोकने एल.ओ.सी स्पष्ट रूप से अनुचित था। यह केवल तब है जब याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर की है तब इस बाधक / रोकने वाली एल.ओ.सी. को एक सूचना एल.ओ.सी. में परिवर्तित किया गया था। हालाँकि प्रत्यर्थी ने पहले ही उपचारात्मक कार्रवाई की है, इस याचिका में आगे किसी निर्देश को पारित करने की आवश्यकता नहीं है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सूचना एल.ओ.सी. की आड़ में, याचिकाकर्ता को इस बहाने से हवाई अड्डे या किसी अन्य बंदरगाह पर हिरासत में नहीं लिया जाएगा या रोका नहीं जाएगा कि पहली सूचना प्रारंभिक एजेंसी को दी जानी है।

13. रिट याचिका और आवेदन का निपटान इस आशा और उम्मीदों के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा जारी दिनांक 27 अक्टूबर 2010 के ओ. एम. में निर्धारित शर्तों को प्रत्यर्थीगण द्वारा पालन किया जाएगा।

(मुक्ता गुप्ता)
न्यायाधीश

04 जुलाई, 2022
'जीए'

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*